संख्या- /2017/ /पॉच-6-2017-105(निर्माण)/13 टी.सी.-1

प्रेषक

अवधेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ ।

चिकित्सा अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 30 मार्च, 2017

विषय:-वित्तीय वर्ष 2016-17 में ट्रामा सेन्टर तथा मॉस कैजुअलिटी प्रबन्धन योजना के अन्तर्गत तेज बहादुर सप्रू चिकित्सालय, इलाहाबाद में ट्रामा सेन्टर के भवन निर्माण के लिये पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-10806/17फ/नि0नि0अ0/2016-17, दिनांक 30.11.2016व अधीक्षण अभियन्ता के पत्र संख्या-10753/17फ/नि0नि0अ0/2016-17, दिनांक 17.11.2016 तथा शासनादेश संख्या-2714/पॉच-6-13-105(नि0)/13टी.सी.-1 दिनांक 15.01.2014 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 15.01.2014 द्वारा ट्रामा सेन्टर तथा मॉस कैजुअलिटी प्रबन्धन योजना के अन्तर्गत तेज बहादुर सप्रू चिकित्सालय, इलाहाबाद में ट्रामा सेन्टर के भवन निर्माण के लिये रू0-150.62 लाख की मूल स्वीकृति निर्गत करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0-75.31 लाख की प्रथम किश्त की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी। तदोपरान्त उक्त निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने हेतु पी0एफ0ए0डी0 द्वारा रू0-170.05 लाख की पुनरीक्षित लागत मूल्यांकित की गयी है।

2- अतएव पी0एफ0ए0डी0 द्वारा मूल्यांकित पुनरीक्षित लागत के आधार पर ट्रामा सेन्टर तथा मॉस कैजुअलिटी प्रबन्धन योजना के अन्तर्गत तेज बहादुर सप्रू चिकित्सालय, इलाहाबाद में ट्रामा सेन्टर के भवन निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के लिये रू0-170.05 लाख (रूपया एक करोड़ सत्तर लाख पॉच हजार मात्र) की पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि को समायोजित करते हुए अवशेष कुल धनराशि रू0-94.74 लाख (रूपया चौरानबे लाख चौहत्तर हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.16 तथा शासनादेश संख्या-2714/पॉच-6-13-105(नि0)/13टी.सी.-1 दिनांक 15.01.2014 में उल्लिखित दिशा निर्देशों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा उक्त धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाक खाते में कदापि नहीं रखी जायेगी।

(3) व्यय वित्त समिति की शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

(4) प्रश्नगत निर्माण कार्य समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करके ही आरम्भ किया जायेगा।

(5) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप विभाग/कार्यदायी संस्था द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।

(6) मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था /विभाग का होगा।

(7) पी0एफ0ए0डी0 द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, जिसमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नंये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

(8) प्रायोजनान्तर्गत् प्रस्तावित कार्यों की डूप्लीकेसी को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(9) प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी विभाग की होगी।

(10) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु निर्गत की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(11) कार्यदायी संस्था द्वारा प्रश्नगत निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण कर विभाग को हस्तगत कर दिया जायेगा तथा इस हेतु उन्हें भविष्य में कोई लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं की जायेगी।

(12) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य किसी अन्य योजना में शामिल नहीं है और इस हेतु किसी अन्य स्रोत से वित्त पोषण नहीं प्राप्त है अथवा किया जायेगा।

(13) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृतियों की पुनरावृत्ति न हो।

3- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय व 2016-2017 में अनुदान संख्या-32 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें-110-अस्पताल तथा औषधालय -09 ट्रामा सेन्टर तथा ट्रामा एण्ड मास कैजुअलिटी प्रबन्धन योजना-24-वृहद् निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.16 के द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(अवधेश कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

संख्या- 75 /2017/3095 (1)/पाँच-6-2016, तददिनांक

प्रतिलिप निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ ।
4- निदेशक (चिकित्सा उपचार), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ ।
5- अपर निदेशक (नियोजन/बजट/विद्युत) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उ0प्र0, लखनऊ।
6- संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ।
7- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, इलाहाबाद ।
8- अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ ।
9- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, इलाहाबाद ।
10- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, लखनऊ ।
11- अपर परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, इलाहाबाद ।
12- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/ नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन ।
13- कार्यालय आदेश पुस्तिका।
14- प्रशासकीय स्वीकृति की एक प्रति मूल पत्रावली में।
15- विभागीय वेबमास्टर ।

आज्ञा से,

(राम नगीना मौर्य)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in